भारत सरकार / Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग / Department of Atomic Energy
परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र / Variable Energy Cyclotron Centre

1/एएफ., बिधान नगर, कोलकाता-700064
1/AF Bidhan Nagar, Kolkata-700064

सं:वीईसीसीं./प्रशा./सी.एच.एस.एस./2013/1623 सित्म्बर 11, 2013

परिपत्र / CIRCULAR

विषय / Sub : सीएचएसएस, कोलकाता/ CHSS, Kolkata

चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे के संबंध में सीएचएसएस, कोलकाता की सीएचएसएस पुस्तिका का नियम सं. 13.9 इस प्रकार है :-

Rule No.13.9 of CHSS Manual of CHSS, Kolkata regarding submission of medical reimbursement claim is as follows :

> प्रतिपूर्ति का दावा उपचार के प्रारंभ होने की तारीख से 30 दिनों के अंदर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह सीमा वीईसीसी के चिकित्सा अधिकारी द्वारा, उन विशेष परिस्थितियों में जो कि लाभार्थी अथवा कर्मचारी के नियंत्रण से बाहर हो, 90 दिनों तक बढ़ायी जा सकती है। A claim for reimbursement shall be preferred within 30 days from the date of commencement of treatment. This limit may be relaxed upto 90 days by the Medical Officer of VECC in special circumstances which were beyond the control of the beneficiary or the employee.

तथापि, यह पाया गया है कि प्राय: लाभार्थीगण चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे उपचार के प्रारंभ होने की तारीख से 90 दिनों के बाद अथवा कभी-कभी उपचार जो कि 90 दिनों की अवधि से परे हैं कि समाप्ति के बाद प्रस्तुत करते हैं। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि ये दावे समय बाधित हैं तथा अस्वीकृत करने योग्य हैं। However, it has been observed that quite often, beneficiaries submit medical reimbursement claims after 90 days from the date of commencement of treatment or sometimes after completion of the treatment which continues beyond the period of 90 days. It is needless to mention here that these claims are time barred and deserve rejection.

अत: लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे को निश्चित रुप से अनुबंधित समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत करें तथा किसी भी परिस्थिति में समय बाधित चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे प्रस्तुत न करें। उनके द्वारा प्रस्तुत समय बाधित चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा प्रशासनिक अनुभाग में रख लिये जायेंगे। The beneficiaries are, therefore, advised to submit their medical reimbursement claims positively within the stipulated time limit and desist from submission of time barred medical reimbursement claims under any circumstances.The time barred medical reimbursement claims submitted by them will be rejected and retained in Administration.

यह भी पाया गया है कि लाभार्थी एक बार में एक माह से अधिक की अवधि के लिए दवाएँ खरीद लेते हैं चूँकि डॉक्टर ने एक माह से अधिक की अवधि के लिए दवाएँ लिखी हैं। लाभार्थी कृपया नोट करें कि वे एक बार में एक माह की अवधि मात्र के लिए दवा खरीदें, भले ही डॉक्टर ने एक माह से अधिक की अवधि के लिए दवाएँ लिखी हों। It has also been observed that the beneficiaries purchase medicines for a period of more than one month at a

time since the Doctor has prescribed the medicines for a period of more than one month. The beneficiaries may please note that they should purchase the medicines only for a period of one month at a time even if the Doctor has prescribed the medicines for a period of more than one month.

एक माह से अधिक की अवधि के लिए दवाओं की खरीद पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु लाभार्थियों द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा उन्हें वापस नहीं किये जायेंगे। The medical reimbursement claims submitted by beneficiaries for reimbursement of expenditure incurred on purchase of medicines for a period of more than one month at a time will be rejected and will not be returned to them.

यह भी पाया गया है कि कई लाभार्थी चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों में सही तरीके से एवं पूर्ण रूप से सूचना नहीं भरते हैं, विशेषकर (i) चिकित्सा उपचार की अवधि, (ii) प्रभाग/अनुभाग/विस्तार सं./सम्पर्क सं. आदि तथा (iii) चिकित्सा दावे की तिथि आदि। परिणामस्वरूप, उन दावों को प्रोसेस करने में प्रशासन को असुविधा होती है। It has also been observed that many of the beneficiaries do not fill-up all the information in the medical reimbursement claims properly and completely, especially (i) period of Medical Treatment, (ii) Division/Section /Extn.No./Contact No. etc, (iii) Date of Medical Claim etc leading to inconvenience on the part of Administration to process the claims.

अत: लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों में सभी सूचना पूर्णत: एवं सही से भरें ताकि प्रशासन उनके दावों को सुविधानुसार प्रोसेस कर सके। The beneficiaries are, therefore, advised to fill-up all the information in the medical reimbursement claims properly and completely in order to enable Administration to process their claims conveniently.

ए बनर्जी 11/9/2013

(ए. बनर्जी /A. Banerjee)
प्रशासनिक अधिकारी-III/Administrative Officer-III

सभी सूचना पट्ट /All Notice Boards

प्रतिलिपि:/ Copy to :

1. निदेशक, वीईसीसी, कोलकाता ।
2. निदेशक का कार्यालय, वीईसीसी, कोलकाता
3. सह निदेशक (त्वरक), वीईसीसी, कोलकाता ।
4. अध्यक्ष, सीएचएसएस समिति, वीईसीसी, कोलकाता ।
5. सभी वर्ग प्रमुख, वीईसीसी, कोलकाता ।
6. वीईसीसी, कोलकाता में स्थापित डीएई के अन्य इकाईयों के वर्ग प्रमुख।
7. प्रमुख, चिकित्सा अनुभाग, वीईसीसी कोलकाता ।
8. उप लेखा नियंत्रक, वीईसीसी, कोलकाता ।
9. उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी, वीईसीसी, कोलकाता।
10. सम्पर्क कार्यालय, एएमडी (ईआर), कोलकाता।
11. प्रमुख, एनपीसीआईएल, कोलकाता एकक
12. सहायक निदेशक (राभा), वीईसीसी, कोलकाता।
13. सचिव, वीईसीसी कर्मचारी संगठन ।
14. सचिव, वीईसीसी एससी/एसटी कर्मचारी संगठन
15. सीएचएसएस, कोलकाता के अंतर्गत आने वाले सभी सेवानिवृत्त कर्मचारीगण।